No.7(3)2014-DPE (PMA)
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises
---

Block No.14, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi.110003

Dated the 14th July 2014

**OFFICE MEMORANDUM**

Sub: Settlement of commercial disputes between Public Sector Enterprises inter se and Public Sector Enterprise(s) and Government Department(s) through Permanent Machinery of Arbitration (PMA) in the Department of Public Enterprises.

---

The undersigned is directed to refer to O.M. No.4 (1)2011-DPE (PMA)-GL dated 12th June, 2013 by which the revised PMA guidelines were issued to all administrative Ministries/Departments as well as to the Chief Executives of all Central Public Sector Enterprises(CPSEs). The last paragraph of the said guidelines mentions as under:

> "All the administrative Ministries/Departments concerned with management of the Central Public Sector Enterprises/Banks/Port Trusts etc. are requested to bring these guidelines to the notice of all concerned organisations under their administrative control for their strict compliance. It is also requested that they may ensure and monitor the implementation of the award of the Arbitrator by the parties as per his/her directions. Presidential directives as per Annexure referred to in paragraph 1V(i) above, may be issued to incorporate the provisions in the Articles of Association or other relevant regulations of concerned organisation(s) at the earliest."

2. However, the Department of Public Enterprises(DPE) is receiving representations from some CPSEs that PMA Arbitration Award is not being implemented in some cases and this results in financial distress to the concerned CPSEs, thereby negating the very purpose of setting up of the PMA. For example, a representation has been received in DPE from Heavy Engineering Corporation Ltd. regarding non-implementation of PMA award by Northern Coalfields Ltd., even after the decision was given by the Sole Arbitrator on 28th February 1997 for payment of Rs.16.87 crore to Heavy Engineering Corporation Ltd. and after the appeal of Northern Coalfields Ltd. to Law Secretary was set aside and the award of Sole Arbitrator was upheld by his order dated 30th November 1999. The Northern Coalfields Ltd. went to the High Court against the order but its appeal was dismissed by the Hon'ble Court in 2007. Despite having no stay against the orders of the Arbitrator and Appellate Authority the Northern Coalfields Ltd. has not implemented the award and are liable to pay interest @ 18% till the payment is made. In this

connection attention is invited to annexure to DPE O.M. No.4(1)/2011-DPE(PMA)-GL dated 12th June 2013, relating to the Arbitration clause to be included in all commercial contracts entered into by the Public Enterprises/Government Departments etc. where it is stipulated, inter alia, that the decision of the Appellate Authority, i.e. Law Secretary or the Special Secretary/Additional Secretary, when so authorised by the Law Secretary, shall bind the parties finally and conclusively. In this particular case, no stay has been granted, but Northern Coalfields Ltd. has made no payment to Heavy Engineering Corporation Ltd. at all.

3. All administrative Ministries/Departments are requested to ensure and monitor implementation of PMA Award of the Arbitrator by the parties as per his/her directions and Presidential directive may be issued as advised in the revised guidelines referred above. The administrative Ministries/Departments are also requested to keep in mind that implementation of DPE guidelines, including PMA guidelines, is a factor taken into account for evaluation purpose of the CPSE under the MoU system and they may advise the CPSEs under their control accordingly.

4. This issues with the approval of Secretary, DPE.

14/6/2014

(J.N. Prasad)
Director

To

Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. Sh. Ramayan Yadav, Joint Secretary & Arbitrator of PMA, DPE.
2. The Chief Executives of all CPSEs for information and necessary compliance.

Copy forwarded for information to:

(i) The Prime Minister's office, South Block, New Delhi
(ii) The Cabinet Sectt., Rashtrapati Bhawan, New Delhi
(iii) PS to the Minister (HI&PE), Udyog Bhawan, New Delhi
(iv) PS to Secretary(PE)
(v) PS to Finance Secretary, North Block, New Delhi
(vi) PS to Law Secretary, Shastri Bhawan, New Delhi
(vii) JS(Admn.)/JS(AKP)/Adviser(PE)
(viii) All officers in DPE

Copy for specific attention and action to:

1. Secretary, Ministry of Coal, Shastri Bhavan, New Delhi
2. Secretary, Department of Heavy Industry, Udyog Bhawan, New Delhi

संख्या. 7(3)2014-डीपीई (पीएमए)
भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003

दिनांक : 14 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

**विषय :- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के परस्पर और केन्द्रीय लोक उद्यमों एवं सरकारी विभाग के मध्य वाणिज्यिक विवादों को लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) के माध्यम से निपटाना**

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 12 जून 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4(1)2011-डीपीई (पीएमए)-जी एल का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के साथ-साथ सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को संशोधित पीएमए मार्गनिदेश जारी किए गए थे ।

**मार्गनिदेशों का अन्तिम पैरा निम्न प्रकार से है :-**

"केन्द्रीय सरकारी उद्यमों/बैंकों/पोर्ट ट्रस्टों आदि के प्रबंधन के साथ सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबंधित संगठनों द्वारा इन मार्गनिर्देशों को कड़ाई से पालन करने हेतु इन्हें इनके नोटिस में लाने का अनुरोध किया गया है । यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यह भी सुनिश्चित और निगरानी करें कि पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ के अवार्ड का कार्यान्वयन उसके आदेशानुसार किया गया है। उक्त पैरा IV (i) में संदर्भित अनुबंध के अनुसार राष्ट्रपतिक निदेशों को संबंधित संगठन (नों) के नियमों और अन्य संबंधित विनियमों में उपबंधों को शामिल करने हेतु जारी किए जाए।"

2. चूंकि लोक उद्यम विभाग का कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से यह प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे है कि कुछ मामलों में पीएमए मध्यस्थता अवार्ड को कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को वित्तीय संकट होता है, इसप्रकार पीएमए की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता है। उदाहरणतया, लोक उद्यम विभाग में हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि. द्वारा नार्दन कोल फील्डस लि. से पीएमए अवार्ड का कार्यान्वयन न किए जाने के संबंध में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जबकि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि. द्वारा 16.87 करोड़ रूपए के भुगतान का निर्णय 28 फरवरी 1997 को एकल मध्यस्थ द्वारा दिया गया था और उसके बाद नार्दन कोल फील्ड लि. द्वारा विधि सचिव को दी गई याचिका को एक तरफ रखकर एकल मध्यस्थ के अवार्ड को उसके दिनांक 30 नवम्बर 1999 के आदेश के तहत सही ठहराया गया था। इस आदेश के विरूद्ध नार्दन कोल फील्डस लि. उच्च न्यायालय में गया लेकिन उसकी याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2007 में खारिज कर दिया। मध्यस्थ एवं नियुक्ति प्राधिकारी के विरूद्ध स्थगन आदेश न दिए जाने के बावजूद नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड ने अवार्ड को कार्यान्वित नहीं किया है तथा वह भुगतान किए जाने तक 18% की दर से ब्याज के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। इस संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12 जून 2013 के कार्यालय ज्ञापन

सं. 4(1)/2011-डीपीई (पीएमए)-जी एल की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो लोक उद्यमों / सरकारी विभाग आदि द्वारा किए गए व्यवसायिक अनुबंधों में शामिल करने से संबंधित है जिसमें साथ-साथ यह शर्त लगाई गई है कि अपीलीय प्राधिकारी अर्थात विधि सचिव अथवा विशेष सचिव/ अपर सचिव जब वे विधि सचिव द्वारा प्राधिकृत हों, के निर्णय संबंधित पक्षों द्वारा अन्तिम एवं स्पष्ट रूप से मानने होंगे।

इस विशेष मामले में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है परन्तु नादर्न कोलफील्ड्स लि. ने हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि. को कोई भुगतान नहीं किया है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने तथा निगरानी करने का अनुरोध है कि वे मध्यस्थ द्वारा पीएमए अवार्ड का उसके निदेर्शों के अनुसार कार्यान्व्यन हो रहा है तथा उपर्युक्त संशोधित दिशानिर्देशों में दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपतिक निदेश जारी किए जाएं।

प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से यह ध्यान में रखने का अनुरोध किया जाता है कि पीएमए दिशानिर्देशों सहित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा वे अपने नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को तदनुसार सलाह दे सकते हैं।

4. इसे, लोक उद्यम विभाग की सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

14/07/2014

(जे. एन. प्रसाद)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

प्रतिलिपि :

1. श्री रामायन यादव, संयुक्त सचिव एवं मध्यस्थ, स्थायी मध्यस्थता तंत्र, लोक उद्यम विभाग
2. सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ अग्रसारित

i. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
ii. मंत्रिमण्डल सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
iii. मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के निजी सचिव, उद्योग भवन, नई दिल्ली
iv. सचिव, लोक उद्यम के निजी सचिव
v. वित्त सचिव के निजी सचिव, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
vi. विधि सचिव के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
vii. संयुक्त सचिव(प्र.)/ संयुक्त सचिव(ए.के.पी.)/सलाहकार(पीई)
viii. लोक उद्यम विभाग के सभी उच्चाधिकारी

प्रतिलिपि : विशेष ध्यान एवं कार्रवाई के लिए

1. सचिव, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सचिव, भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली